राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत भिवाडी शहर के प्रमुख स्थल अरावली विहार आवासीय योजना में स्थित व्यावसायिक भूखण्डों की

नीलामी स्थल :

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
रा. आ. म., खण्ड–भिवाडी

भव्य खुली नीलामी

नीलामी दिनांक :

गुरूवार
29.06.2017
समय प्रातः 11.30 बजे

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	कॉर्नर/सामान्य	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति वर्ग मीटर)	अमानत राशि
1	CB-03, CB-04, CB-06, CB-07*, CB-08, CB-09, CB-10**, CB-11 (08)	सामान्य	112.50	90500.00	509063.00
2	CB-15 (01)	कॉर्नर	112.50	120000.00	675000.00

नोट : ***** अनुसूचित जाति एंव ****** अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित

भूखण्ड पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल, ऊंचाई, एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित भवन विनियम के अनुसार होंगे।

–: मुख्य विशेषताऐं :–

1. **भिवाडी की प्रतिष्ठित अरावली विहार कॉलोनी के मुख्य भाग में 45.00 मीटर चौड़ी सड़क पर मंशा चौक के पास स्थित।**
2. **भिवाडी बस स्टेण्ड से 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित।**
3. **दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 60 किमी. दूरी पर स्थित।**
4. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) के अन्तर्गत प्रमुख औधौगिक क्षेत्र में स्थित।**

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें अथवा सम्बंधित आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त के कार्यलाय में सम्पर्क करें।

: सम्पर्क सूत्र :

उप–आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–अलवर
फोनः 0144–2332612

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी
फोनः 01493–230484

—: नियम व शर्तें :—

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को राशि रू. 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30 लाख रूपये जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10.00 करोड़ एंव अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई अमानत राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
4. आवंटन पत्रानुसार अनुमोदित उच्चतम बोली दर के अनुरूप सम्पत्ति मूल्य की राशि के अतिरिक्त अन्य विविध व्यय, वार्षिक लीज राशि अग्रिम एक वर्ष, विधिक व्यय, नक्शा शुल्क, सेवाकर आदि नियमानुसार देय होंगें।
5. **खुली बोली न्यूनतम 100.00 के गुणक में** स्वीकार होगी, परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
6. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर किसी भी समय बोली कार्यक्रम को स्थगित/निरस्त किया जा सकेगा। **खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिये** अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी।
7. <u>फर्म द्वारा नीलामी :</u> यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बंधी दस्तावेज एंव बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. <u>लीज अवधि एंव लीज राशि :</u> भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद आवासन मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। **व्यावसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर वार्षिक लीज प्रभावी भूमि विकास दर के अनुरूप क्षेत्रफल की राशि का 5.0 प्रतिशत की दर से देय होगी।** व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अन्यथा नया वर्ष प्रारम्भ होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षि लीज राशि की सात गुना (पूर्व में एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा कराई जा सकती है।
9. व्यावसायिक भूखण्ड ''जहां है जैसा है'' के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वंय क्रेता वहन करेगा। इस बाबत् कोई शर्त आवासन मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी।
10. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताए, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एंव इस सम्बंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

11. आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एंव तद्नुसार ही गणना की जावेगी।
12. भूखण्ड का पंजीयन : विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा सम्बंधित क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगा।
13. भूखण्ड पर निर्माण : क्रय किये गये भूखण्ड की जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवटंन निरस्त माना जावेगा एंव राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुए कब्जा ले सकेगा एंव आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एंव बोली दाता को इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। निरस्तीकरण एंव भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी।
14. स्थानीय बिल्डिंग बाईलॉज 2010 (यथा संशोधित) के अनुरूप निर्माण के नक्शे बनवाये जाकर आवासन मण्डल में नगर नियोजक शाखा में प्रस्तुत करने होगें। नक्शे अनुमोदनोपरान्त निर्धारित समयावधि में स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण पूर्ण करना होगा।
15. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। नीलामी समय में मोबाईल का प्रयाग निषेध है।
16. **सभी राशियां नकद रूप में नहीं ली जाकर केवल बैंकर्स चैक अथा डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा, जो राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी के नाम देय होगा, जमा करानी होगी।**
17. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एंव आवासन मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी।
18. वार्षिक लीज राशि एंव एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सेवाकर देय होगा।
19. अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें अथवा सम्बंधित आवासीय अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त के कार्यलाय में सम्पर्क करें।

: सम्पर्क सूत्र :

उप–आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–अलवर
फोनः 0144–2332612

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी
फोनः 01493–230484